राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.20(1) न्याय/2023 जयपुर, दिनांकः

::परिपत्र::

नोटेरी अधिनियम 1952 एवं नियम 1956 की धारा 11 (5) के अन्तर्गत प्रत्येक जिला एवं सेशन न्यायाधीश को उनके न्यायक्षेत्र में नियुक्त नोटेरी पब्लिकगण के नोटेरी रजिस्टर का निरीक्षण वर्ष में दो बार किये जाने का प्रावधान है।

प्रायः यह देख गया है कि प्राप्त निरीक्षण रिपोर्टो में नोटेरी पब्लिक द्वारा संधारित नोटेरी रजिस्टर में कॉलम अनुसार इन्द्राजात सही नहीं किये जाते है।

अतः राज्य के समस्त जिला एवं सेंशन न्यायाधीशों से अनुरोध है कि नोटेरी अधिनियम एवं नियम में विहित प्रावधानों के अनुसार संबंधित न्यायक्षेत्र में नियुक्त नोटेरी पब्लिकगण के नोटेरी रजिस्टर के समस्त कॉलम की पूर्ति नियमानुसार करवाने के निर्देश प्रदान करे एवं राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोटेरी पब्लिकगण के नोटेरी रजिस्टर की निरीक्षण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

नोटः— राज्य सरकार नियुक्त नोटेरी पब्लिकगण को यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं संबधित जिला एवं सेंशन न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर नोटेरी रजिस्टर का निरीक्षण करावें। नोटेरी पब्लिक द्वारा नोटेरी रजिस्टर का निरीक्षण समयावधि के अन्तर्गत नहीं कराये जाने की स्थिति में संबधित नोटेरी पब्लिक के विरूद्व नोटेरी अधिनियम 1952 एवं नियम 1956 में विहित प्रावधानो के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जा सकेगी। जिसका उत्तरदायित्व संबंधित नोटेरी पब्लिक का होगा।

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजस्थान।
3. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समस्त नोटेरी पब्लिक।
4. रक्षित पत्रावली।

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

Document certified by ANKIT RAMAN <ankitraman.ar@gmail.com>.
Digitally Signed by ANKIT RAMAN
Designation : Joint Secretary
Date :12-05-2025 02:41:53

RajKaj Ref No.: 15216253